2024/286

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री शम्मी कुमार खत्री निवासी ए/404 मईशा रेजीडेन्सी समा-सावली रोड, वेमाली बडोदरा गुजरात।		सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूरोड

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005 मुकदमा नं. 60 वर्ष 2024

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
25.10.2024	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूरोड को दिनांक 27.08.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि उपखण्ड न्यायालय आबूरोड में में मुकदमा संख्या 08/2023 सीआरपीसी 133 शम्मी कुमार बनाम घेवरराम में क्षेत्रीय प्रबंधक रिको आबूरोड द्वारा पेश किए गए जबाव एवं जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति एवं मुकदमा संख्या 06/2023 सीआरपीसी 133 शम्मी कुमार बनाम नेमाराम में क्षेत्रीय प्रबंधक रिको आबूरोड द्वारा पेश किए गए जबाव एवं जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/- जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूरोड को दिनांक 27.08.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि उपखण्ड न्यायालय आबूरोड में मुकदमा संख्या 08/2023 सीआरपीसी 133 शम्मी कुमार बनाम घेवरराम में क्षेत्रीय प्रबंधक रिको आबूरोड द्वारा पेश किए गए जबाव एवं जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति एवं मुकदमा संख्या 06/2023 सीआरपीसी 133 शम्मी कुमार बनाम नेमाराम में क्षेत्रीय प्रबंधक रिको आबूरोड द्वारा पेश किए गए जबाव एवं जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूरोड द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/आरटीआई/शम्मी कुमार/2024/2233 दिनांक 17.09.2024 के द्वारा अपीलांट को सूचित क[illegible] है। अतः उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में सहायक लोक सूचना अधिकारी उपख[illegible] आबूरोड के स्तर पर अब [illegible] है। अतः ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही [illegible]। [illegible] सर-ए-इजलास सुनाया गया। अपीलांट की अपील खा[illegible] की जाती है। [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो[illegible] (अल्पा चौधरी) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:37:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner